संख्या-110/2021/960/22-4-2021-48(30)/2014

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 22 नवम्बर, 2021

विषय:- प्रदेश की कारागारों में संचालित ई-प्रिजन कार्ययोजना को सुदृढ़ किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदानित धनराशि से तकनीकी मैनपावर एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11546/आधु-2/ई-प्रिजन/2021, दिनांक-11.05.2021 एवं पत्र संख्या-21167/आधु-2/ई-प्रिजन/2021, दिनांक-16.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ई-प्रिजन कार्ययोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-21 में शासनादेश संख्या-69/2021/408/22-4-2021-48(30)/14, दिनांक-25.03.2021 द्वारा प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति की धनराशि रू0 1,74,26,400/- का क्रयानुमोदन प्राप्त न होने के कारण धनराशि समर्पित करने की सूचना उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक वर्ष के लिए 73 तकनीकी मैनपावर की व्यवस्था हेतु रू0 1,73,95,000/- का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया भारत सरकार द्वारा अनुदानित चालू ई-प्रिजन कार्ययोजना के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत कुल 73 तकनीकी मैनपावर की व्यवस्था हेतु संगत मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2,00,00,000/-(रू0 दो करोड़ मात्र) में से रू0 1,73,95,000/-(रू0 एक करोड़ तिहत्तर लाख पन्चानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करती है:-

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं /सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर गयी हो ।

(3) महानिरीक्षक कारागार द्वारा उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उसके अधीनस्थ संस्थानओं में मैनपावर के क्रय(आउट सोर्सिंग) के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-18 दिसम्बर, 2019 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-17-ई प्रिजन कार्ययोजना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा और उस लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट से ही वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-232(ई0ओ0)/दस-2021 दिनांक-17-11-2021 में प्राप्त उनकी सहमति जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-110/2021/960/22-4-2021-तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।